

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./कार्य-211/2014/...../राँची, दिनांक

प्रेषक:

ई. सुनील कुमार सिन्हा,
संयुक्त सचिव (अभि.)।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो.-हिन्तू, राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय: लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन संलग्न परिशिष्ट-I एवं II के अनुसार झालको द्वारा कार्यान्वयन हेतु 30 अदद विभिन्न लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु कुल लागत राशि रु० 621.766 लाख (रुपये छः करोड़ इक्कीस लाख छेहत्तर हजार छः सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

2. जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन संलग्न परिशिष्ट-I एवं II के अनुसार झालको द्वारा कार्यान्वयन हेतु 30 अदद विभिन्न लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु कुल लागत राशि रु० 621.766 लाख (रुपये छः करोड़ इक्कीस लाख छेहत्तर हजार छः सौ) का प्रस्ताव है।
3. यह प्रस्ताव प्रबंध निदेशक झालको द्वारा प्रदत्त सूची के आधार पर तैयार किया गया है जिसके अनुसार 30 अदद विभिन्न लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु कुल लागत राशि रु० 621.766 लाख (रुपये छः करोड़ इक्कीस लाख छेहत्तर हजार छः सौ) मात्र है। इन योजनाओं के पूर्ण होने से कुल 722 हे० (खरीफ-588 हे० एवं रब्बी-134 हे०) सिंचाई क्षमता का सृजन होने का अनुमान है। योजना का औसत Incidence of Cost 86117/- हे० आकलित है। योजनावार इंसीडेंस ऑफ कॉस्ट, सिंचन क्षमता, B.C. Ratio (@ 10 % Interest) संलग्न परिशिष्ट-I एवं II में अंकित है।
4. इन योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रस्तावित है :-
 - (i) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व एवं कार्य करने के बाद कार्य स्थल का स्टिल फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराया जाएगा।
 - (ii) नियमानुसार कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्री-लेवल माप पुस्त में अंकित किया जाएगा, एवं इसकी शत प्रतिशत जाँच अवर क्षेत्रीय प्रबंधक के द्वारा (50%) पचास प्रतिशत जाँच क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (iii) प्रबंध निदेशक झालको द्वारा इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जल उपभोक्ता समिति / ग्राम सभा से सहमति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
 - (iv) इन योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व जल उपभोक्ता समिति का गठन कराया जाना प्रबंध निदेशक झालको द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
 - (v) प्रस्तावित योजनाओं का निर्माण झारखंड लोक निर्माण संहिता 2012 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। योजनाओं के निर्माण के उपरान्त योजना के संचालन एवं रख-रखाव का दायित्व जल उपभोक्ता समिति का होगा। अगर कार्यस्थल पर योजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति जल उपभोक्ता समिति (WUA) से प्राप्त नहीं रहने पर योजनाओं का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जाएगा।
 - (vi) इन योजनाओं के कार्यान्वयन के उपरान्त संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक झालको द्वारा ग्राम सभा से यह प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा कि योजना का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक कराया गया है।
 - (vii) सूची में उल्लेखित योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व जल की उपलब्धता, कमाण्ड क्षेत्र के आकलन तथा प्राक्कलन के मद एवं मात्रा की जाँच प्रबंध निदेशक, झालको द्वारा सक्षम प्राधिकार से कराना सुनिश्चित किया जाएगा। सिंचाई हेतु आउटलेट (गेट चालित/स्लूइस वाल्व) का निर्माण कमाण्ड एरिया के लेवल के अनुसार होगा।

- (viii) कराये जाने वाले कार्य की प्रकृति के अनुरूप अनुसूचित दर के मद को रखते हुए प्राक्कलन की स्वीकृति प्रबंध निदेशक झालको द्वारा दी जाएगी।
- (ix) यदि योजना का निर्माण निजी भूमि पर प्रस्तावित हो तो उस भूमि का विधिवत दान पत्र प्राप्त कर ही योजना का कार्यान्वयन कराया जायगा।
- (x) उपरोक्त कड़िका '4' (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii) एवं (ix) के सम्पुष्टि के उपरांत ही योजना का कार्यान्वयन प्रारंभ किया जाएगा।
5. इन योजनाओं पर होने वाला व्यय निम्न बजट शीर्ष अन्तर्गत भारित होगा:-
- (क) **परिशिष्ट-I के अनुसार** होने वाला व्यय की राशि बजट शीर्ष "मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-लघु शीर्ष-101-सतही जल-उपशीर्ष-19-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-मुख्य निर्माण कार्य" (50P4702200101190545) अंतर्गत प्राप्त बजट उपबंध में विकलनीय होगा।
- (ख) **परिशिष्ट-II के अनुसार** होने वाला व्यय की राशि बजट शीर्ष "मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना-उपशीर्ष-19-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-मुख्य निर्माण कार्य" (50P4702200796190545) अंतर्गत प्राप्त बजट उपबंध में विकलनीय होगा।
6. इन योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रारम्भ कर वित्तीय वर्ष 2015-2016 में पूर्ण किया जायगा।
7. इन कार्यों को डिपोजिट वर्क (Deposit Work) के रूप में कराया जाएगा।
8. प्रबंध निदेशक झालको इन कार्यों हेतु आवंटित राशि को पी०एल० खाता में जमा करेंगे।
9. इन कार्यों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा नियंत्रण पदाधिकारी प्रबंध निदेशक झालकों होंगे।
10. इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राशि की निकासी प्रबंध निदेशक झालकों एवं संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग झारखंड राँची के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।
11. इन कार्यों के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
12. इस कार्य हेतु राशि की निकासी राँची कोषागार से की जायगी।
13. झारखंड कोषागार संहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
14. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
15. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।
16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
17. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

अनु:-परिशिष्ट-I एवं II

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

६०/-
(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./कार्य-211/2014/...../राँची, दिनांक

प्रतिलिपि: वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु:-यथोक्त।

६०/-
(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./कार्य-211/2014/...../राँची, दिनांक

प्रतिलिपि: कोषागार, पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु:-यथोक्त।

६०/-
(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./कार्य-211/2014/...../राँची, दिनांक

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/प्रबंध निदेशक, झालको, राँची/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल-3/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

अनु:-यथोक्त।

६०/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./कार्य-211/2014/...../राँची, दिनांक

प्रतिलिपि: आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची/उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग/पलामू प्रमंडल मेदिनीनगर/संथालपरगना प्रमंडल, दुमका/कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु:-यथोक्त।

६०/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./कार्य-211/2014/...../राँची, दिनांक

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री महोदया, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु:-यथोक्त।

६०/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि.)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./कार्य-211/2014/...../राँची, दिनांक 20/11/14

प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

अनु:-यथोक्त।

(सुनील कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि.)

लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन TSP अन्तर्गत झालको द्वारा 21 अदद तालाब/आहर/बाँध निर्माण हेतु विवरणी

क्र० सं०	योजना का नाम	जिला	प्रखण्ड	गाँव	प्राककलित राशि (लाख में)	सिंचन क्षमता (हे० में)			बी०सी० अनुपात (10 प्रतिशत)	इन्सिडेन्स ऑफ कॉस्ट
						खरीफ	रबि	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गवालसिमला पोखर का निर्माण	दुमका	दुमका	गवालसिमला	19.761	18	3	21	1.77	0.94100
2	जमबारी पोखर का निर्माण	दुमका	रामगढ	जमबारी	24.006	22	3	25	1.58	0.96024
3	जगदीशपुर पोखर का निर्माण	दुमका	रानेश्वर	जगदीशपुर	28.318	28	6	34	1.88	0.83288
4	पथरिया पोखर का निर्माण	दुमका	रामगढ	पथरिया	20.562	23	7	30	2.29	0.68540
5	शहरपुर पोखर का निर्माण	साहेबगंज	बोरियो	शहरपुर	17.892	16	3	19	1.63	0.94168
6	पोखर का निर्माण	दुमका	जामा	कुल्हरिया	23.926	20	3	23	2.07	1.04026
7	गुनछुआ तालाब का निर्माण	दुमका	जामा	गुनछुआ	25.730	20	4	24	1.96	1.07208
8	खास तालाब का निर्माण	दुमका	जामा	अमरा	25.630	25	5	30	1.74	0.85433
9	तालाब का निर्माण	दुमका	रामगढ	लेटो	19.355	16	4	20	1.38	0.96775
10	तालाब का निर्माण	दुमका	रामगढ	तालझरनी	20.315	21	3	24	1.044	0.84646
11	तालाब का निर्माण	रांची	बुन्डु	महेशपुर	26.834	23	4	27	1.70	0.99385
12	तालाब का निर्माण	दुमका	मसलिया	तैमारा	12.195	13	3	16	1.276	0.76219
13	तालाब का निर्माण	प० सिंहभूम	खुटपानी	बेदियाचक	15.460	20	2	22	2.44	0.70273
14	तालाब का निर्माण	साहेबगंज	बरहेट	बागु सेरांग	19.962	20	4	24	3.38	0.83175
15	तालाब का निर्माण	रांची	बुन्डु	रक्सी	17.835	15	3	18	1.861	0.99083
16	तालाब का निर्माण	साहेबगंज	पथना	आझा-1	19.896	25	15	40	2.204	0.49740
17	तालाब का निर्माण	रांची	सोनाहातु	दलाही अमरपुर	14.990	14	3	17	1.251	0.88176
18	तालाब का निर्माण	साहेबगंज	बोरियो	बंकु	23.256	13	2	15	1.119	1.55040
19	तालाब का निर्माण (झाबु मराण्डी के जमीन पर)	साहेबगंज	बोरियो	मुर्गाबानी	12.818	14	0	14	1.361	0.91557
20	तालाब का निर्माण (चिमती पहरिया के जमीन पर)	जामतारा	फतेहपुर	दुमकी	12.795	14	0	14	1.475	0.91393
21	तालाब का निर्माण, प्लॉट सं०-700	जामतारा	फतेहपुर	बानरनच्चा	15.808	18	4	22	1.781	0.71855
कुल :-						398	81	479		

संयुक्त सचिव (अभि.)
जल संसाधन विभाग

लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन OSP अन्तर्गत झालको द्वारा 9 अदद चेकडैम/तालाब/आहर निर्माण हेतु विवरणी

क्र० सं०	योजना का नाम	जिला	प्रखण्ड	गाँव	प्राक्कलित राशि (लाख में)	सिंचन क्षमता (हे० में)			बी०सी० अनुपात (10 प्रतिशत)	इन्सिडेन्स ऑफ कौस्ट
						खरीफ	रबि	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	द्वारिका में तालाब का निर्माण	पलामू	पांकी	द्वारिका	19.040	25	8	33	2.05	0.57697
2	तालाब का निर्माण	बोकारो	चन्द्रपुरा	पिपराडीह	36.864	22	8	30	1.61	1.22880
3	तालाब का निर्माण	देवघर	सोनारायटारी	तिनघारा	19.321	24	5	29	2.28	0.66624
4	तालाब का निर्माण	देवघर	देवीपुर	नारासिमर	15.000	16	4	20	1.96	0.75000
5	तालाब का निर्माण	बोकारो	गोमिया	महुआटॉड	25.454	22	8	30	1.26	0.84847
6	चट्करी में तालाब निर्माण	हजारीबाग	बरकटठा	चट्करी	20.257	15	4	19	1.15	1.06616
7	तालाब का निर्माण	देवघर	मधुपुर	दुबियातारी	25.000	26	6	32	1.973	0.78125
8	राघोटांड में तालाब का निर्माण	हजारीबाग	बिष्णुगढ	चलनिया	19.146	15	5	20	1.15	0.95730
9	कमरागढा में तालाब का निर्माण	हजारीबाग	बिष्णुगढ	गुन्डरो-करमाटांड	24.340	25	5	30	1.08	0.81133
कुल :-					204.422	190	53	243		

संयुक्त सचिव (अभि.)
जल संसाधन विभाग